न्यायालय श्री सोनू सौरव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्र0 श्रे0, दाउदनगर।
परिवाद पत्र संख्याः—169/2022

31.03.2023 परिवादी यशवंत सिंह की ओर से उपस्थिति पत्र दाखिल किया गया है ।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता संज्ञान के विन्दु पर सुनवाई करते हुए निवेदन करते है कि इस वाद में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक—20.09.2022 को माननीय सत्र न्यायालय, औरंगाबाद द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या—97/2022 के आलोक में अपास्त कर दिया गया है तथा इस वाद में पुनः संज्ञान के विन्दु पर सुनवाई तथा नवीन आदेश पारित करने हेतु आदेश पारित किया है । जॉच साक्षियों ने परिवाद पत्र में नामित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध साक्ष्य दिया है, इसलिए सभी अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध विचारण हेतु आहुत किया जाए।

सुना । वाद अभिलेख का अवलोकन किया । वाद अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक—20.09.2022 को अभियुक्त यदुनन्दन साव उर्फ घुटघुट, बिगा साव एवं अरविन्द साव के विरूद्ध धारा 323 एवं 504 में प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए विचारण के लिए आहूत करने का आदेश पारित किया गया था । जिस आदेश के विरूद्ध माननीय सत्र न्यायालय, औरंगाबाद के समक्ष पुनरीक्षण वाद संख्या—97/2022 दाखिल किया गया, जिसे माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा दिनांक—27.01.2023 के आदेश से प्रस्तुत वाद में दिनांक—20.09.2022 को पारित आदेश को अपास्त करते हुए संज्ञान के विन्दु पर पुनः सुनवाई कर नवीन आदेश पारित करने का आदेश दिया गया ।

माननीय सत्र न्यायालय के आदेश के आलोक में तथा परिवाद पत्र, परिवादी के शपथ पर बयान एवं जॉच साक्षियों के आलोक में वाद पत्र में नामित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 341, 323, 379, 427 एवं 504/34 भा0दं0सं0 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है ।

परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त वाद में वर्णित सभी अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दिनांकः—05.06.2023 वास्ते दाखिल करें, तदोपरांत कार्यालय लिपिक समन निर्गत करें ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।